न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 02/2021/निगरानी

1 मोहनलाल
2 फूलचन्द
3 सागरमल
} पुत्रगण स्व0 श्री भगताराम मील जाति जाट निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 ग्राम पंचायत रानोली जरिए सरपंच, रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
3 पोखरमल पुत्र स्व0 श्री जमनाराम मील
4 श्रीमती जवाहरी पत्नी स्व0 श्री तुलछाराम मील
जाति जाट निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 4333 दिनांक 30.12.2010 द्वारा ग्राम पंचायत रानोली तहसील दांतारामगढ़

वकील प्रार्थी श्री अनिल कुमार शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री सांवरमल चौधरी

निर्णय दिनांकः—08.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 के द्वारा रेस्पो0 1, 2 व 4 से साजकर गलत रूप से भूमि पर अपना कब्जा बताया जाकर कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये रेस्पो0 संख्या 3 के नाम उक्त विवादित पट्टा दिनांक 30.12.2010 को जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत रानोली द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 4333 दिनांकित 30.12.2010 सर्वदा गलत, विरूद्ध कानून, रिकार्ड पत्रावली होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। वस्तुस्थिती यह है कि जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है वह निगरानीकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की पैतृक सम्पदा है। जिसमें निगरानीकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का 1/3, 1/3 बराबर हिस्सा व हक अधिकारी है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 से साज करके उपरोक्त भूमि का पट्टा अपने नाम से जारी करवा लिया। जिस भूमि का पट्टा रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अपने नाम से जारी करवाया गया है वह भूमि पैतृक भूमि होकर निगरानीकर्ता व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का बराबर बराबर हिस्सा चला आ रहा है जिसमें से निगरानीकर्तागण का दक्षिणी तरफ का हिस्सा होकर उसमें अलग से दीवार भी बनाई गई हुई थी तथा निगरानीकर्तागण अपना आवास निवास अपनी कृषि भूमियो की सार सम्भाल हेतु कृषि भूमियों में ही करते है तथा अपनी उक्त पैतृक सम्पति व पैतृक हवेली की सार सम्भाल करने गांव में निरन्तर आते रहते है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अवैध रूप से उक्त स्थिति को भली स्थिति को जानते हुए भी जानबुझकर उक्त भूमि का पटटा गलत रूप से एक मात्र अपने नाम गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर बनवा लिया। रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्राथी की उक्त पैतृक सम्पति के हिस्से की दीवार को तोड़कर दिनांक 10.02.2021 को निगरानिकर्तागण के हिस्से को अपने में मिलाकर निर्माण कार्य चालू करने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

निगरानीकर्तागण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 को रोकने व उल्लाहना देने पर रेस्पोडेंट संख्या 3 के द्वारा उक्त भूमि का पट्टा अपने नाम करवाने की बात कहने पर उक्त पट्टा बाबत जानकारी हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु पंचायत में आवेदन करने पर पटटे के बारे में निगरानीकर्तागण को पता चला परन्तु पंचायत द्वारा उक्त पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमों का हवाला देकर नही दी जाकर उक्त पटटे की पत्रावली प्रार्थी को दिनांक 15.02.2021 को दी गई तथा पटटे की मात्र फोटो प्रति ही उपलब्ध करवाई गई इसलिए पटटे की फोटो काफी ही निगरानी के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त पटटे की समस्त कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के द्वारा साज करके बिना किसी विधिक प्रकिया को अपनाये व बिना निगरानीकर्तागण को किसी प्रकार नोटिस दिये तथा मौके की कार्यवाही भी गलत हस्ताक्षर करके निष्पादित की गई है, उपरोक्त समस्त तथ्य रेस्पोडेंट संख्या 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 से साज कर बाला बाला रेस्पोडेंट संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा जारी करते समय किसी भी प्रकार की विधिक प्रकिया की पालना नही की गई। पटटा जारी किये जाने से पूर्व आपत्ति हेतु कोई नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा नही किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के द्वारा आपस में साज करके गलत रूप से संयुक्त पैतृक सम्पदा कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 3 का होना बताकर गलत रूप से उक्त पटटा जारी करवा लिया। इस कारण उक्त पटटा निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रानोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 4333 दिनांक 30.12.2010 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह निगरानीकर्तागण व रेस्पो. संख्या 3 व 4 की पैतृक सम्पदा है जिसमें निगरानीकर्तागण व रेस्पो. संख्या 3 व 4 का 1/3, 1/3 बराबर हिस्सा व हक अधिकार है जबकि ग्राम पंचायत रानोली द्वारा पट्टा संख्या 4333 केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4333 निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत रानोली द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 157(1) के नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि को प्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पदा बताया है एवं निगरानी में भी यह अंकित किया है परन्तु पट्टा शुदा भूमि पैतृक होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र ग्राम पंचायत रानोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 4333 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा किस प्रस्ताव संख्या के द्वारा जारी किया गया है, का कोई उल्लेख निगरानी में अंकित नहीं किया गया है। जबकि पट्टा निरस्तीकरण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये प्रस्ताव के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत रानोली से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं का 50 वर्षो से कब्जा शुदा भूमि होने पर पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत रानोली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी को स्वयं का कब्जा सबूत के तौर पर शपथ पत्र एवं पड़ौसियों के बयान आदि कराने हेतु सूचना पत्र एवं नोटिस जारी किया गया। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली में अंकित है, परन्तु पत्रावली में किसी पड़ौसी के बयान उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार मौका कमीश्नर नियुक्ति आदेश किस दिनांक में आयोजित पंचायत बैठक के निर्णयानुसार किये गये, का पत्रावली में उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार पट्टे के लिए सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने के लिए जारी नोटिस की चस्पानगी भी विधिवत रूप से नहीं की गई है। मांग पत्र में भी राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी पोखरमल द्वारा 50 वर्षो से कब्जा होने का स्वयं का शपथ पत्र एवं पड़ोसी बंशीधर पुत्र गुल्लाराम यादव का बयान फार्म एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण पत्रावली पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

उपलब्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में कई अनियमितताए बरती गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस किये गये कथनानुसार निगरानी आवेदन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पट्टा शुदा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि होने का केवल मात्र कथन किया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से पट्टा शुदा भूखण्ड को पैतृक सम्पदा नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत रानोली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में विधिसम्मत जांच की जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर